



कार्यालय प्राचार्य

OFFICE OF THE PRINCIPAL

शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, जगदलपुर (जिला-बस्तर)
Govt. Kaktiya Post Graduate (Autonomous) College, Jagdalpur (Dist-Bastar)



Coll. Code- 2201 Phone & Fax - 07782-229340, Email-kpgcjd@gmail.com Website-www.gkpgcjd.in

अतिथि व्याख्याता हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

निम्न महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, क्रीडाधिकारी एवं ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापन/पुस्तकालय/खेलकूद हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीडाधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथपाल सहायक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. शासकीय काकतीय (स्वशासी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
2. नवीन शासकीय महाविद्यालय, नगरनार, जिला-बस्तर
3. नवीन शासकीय महाविद्यालय, किलेपाल, जिला-बस्तर

आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 14.08.2026 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

विस्तृत विज्ञापन महाविद्यालय की वेबसाईट www.gkpgcjd.ac.in से प्राप्त की जा सकती है।

प्राचार्य 06/08/26

शासकीय काकतीय (स्वशासी) स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, जगदलपुर
जिला-बस्तर (छ.ग.)



कार्यालय प्राचार्य

OFFICE OF THE PRINCIPAL

शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, जगदलपुर (जिला-बस्तर)
Govt. Kaktiya Post Graduate (Autonomous) College, Jagdalpur (Dist-Bastar)



Coll. Code- 2201

Phone & Fax - 07782-229340, Email-kpgcjdp@gmail.com Website-www.kpgcjdp.in

कमांक/स्था/अ.व्या./2026/688

जगदलपुर, दिनांक 06/08/2026

// अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर का पत्र कमांक ESTB/23066/2026-O/O

ADDITIONAL DIRECTOR नवा रायपुर दिनांक 17.07.2026 तथा उच्च शिक्षा विभाग का ईफाईल कमांक ESTB-1027/1216/2025 के अनुसार अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) अंतर्गत शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर में विभिन्न विषयों के अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक, एवं अतिथि क्रीडाधिकारी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 14.08.2026 को सायं 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :

अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि क्रीडाधिकारी को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) के मापदंड के अनुसार होगा।

कार्य आबंटन हेतु विषय एवं पदों का विवरण

क्र.	विषय	रिक्त पद की संख्या
1	अर्थशास्त्र	01
2	मनोविज्ञान	01
3	भूविज्ञान	01
4	वानिकी	01
5	क्रीडाधिकारी (अतिथि)	01

रिक्तियों की संख्या परिवर्तनीय है।

कार्य आबंटन प्रक्रिया

1. आवेदक का चयन, कार्य आबंटन, मानेदय तथा अन्य सेवा शर्तें अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) के अनुसार किया जायेगा। नीति में दिये गये सभी शर्तें चयनित उम्मीदवार पर लागू होगा।
2. चयनित उम्मीदवार का अनंतिम सूची दिनांक 21.08.2026 को जारी किया जायेगा तदोपरांत दावा आपत्ति दिनांक 24.08.2026 तक महाविद्यालय के ई-मेल kpgcjdp@gmail.com के माध्यम से प्राप्त कर अंतिम सूची दिनांक 27.08.2026 को प्रकाशित किया जायेगा।

कार्य आबंटन प्रक्रिया

1. आवेदक का चयन, कार्य आबंटन, मानेदय तथा अन्य सेवा शर्तें अतिथि व्याख्याता नीति 2024 (यथा संशोधित 2026) के अनुसार किया जायेगा। नीति में दिये गये सभी शर्तें चयनित उम्मीदवार पर लागू होगा।
2. चयनित उम्मीदवार का अंतिम सूची दिनांक 21.08.2026 को जारी किया जायेगा, तदोपरांत दावा आपत्ति दिनांक 24.08.2026 तक महाविद्यालय के ई-मेल gnckilepal@gmail.com के माध्यम से प्राप्त कर अंतिम सूची दिनांक 27.08.2026 को प्रकाशित किया जायेगा।
3. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
4. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
5. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितिकरण का आधार नहीं होगा।
6. आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता महाविद्यालय/प्राचार्य, शासकीय काकतीय (स्वाशासी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर (लिफाफे के ऊपर किलेपाल महाविद्यालय हेतु अवश्य अंकित करें) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें।
7. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
8. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।


प्राचार्य

नवीन शासकीय महाविद्यालय, किलेपाल
जिला-बस्तर, छ.ग.